न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड., आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 54/2016

वादीगण — बनाम — **प्रतिवादी**

वादीगण

1 मूलाराम पुत्र मुगनाराम
2 रूगाराम पुत्र मुगनाराम
3 केवलराम पुत्र कालुराम
4 किस्तुरी देवी पत्नि सुखाराम
5 महेन्द्र
6 दिनेश पिसरा सुखाराम
7 लीला
8 रूकमा
9 कौशल्या पुत्रिया सुखाराम जातियान माली नि० सारंगवास तह० सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादी

1 मांगीलाल पुत्र मगाराम
2 मृ० पुनाराम पुत्र मगाराम के का०मु०
2/1 जीवाराम पुत्र पुनाराम
2/2 नरपत पुत्र पुनाराम
2/3 शोभा पुत्री पुनाराम
2/4 प्रेम देवी पुत्री पुनाराम जातियान माली नि० सारंगवास तह० सोजत जिला पाली राज०।
3 मुलाराम पुत्र मगाराम
4 भंवरी पुत्री मगाराम पत्नि डूंगाराम जाति माली नि० बेरा देवड़ा बाड़ी सोजतसिंटी जिला पाली राज०।
5 नारायणी पुत्री मगाराम पत्नि कानाराम जाति माली नि० बेरा पिपलिया सोजतसिटी जिला पाली।
6 सुखी पुत्री मगाराम पत्नि हरजी जाति माली नि० कण्टालिया तह० मारवाड़ जक्शन जि० पाली।
7 मिश्री पुत्री मगाराम पत्नि राजुराम जाति माली नि० बेरा डोली दादिया तह० सोजत जिला पाली।
8 टीकमराम पुत्र कुनाराम जाति माली नि० सारंगवास तह० सोजत जिला पाली।
9 पेमाराम
10 मंगलाराम
11 हिराराम पि० धन्नाराम जातियान माली नि० सारंगवास तह० सोजत जिला पाली।
12 मृतक पारस पुत्र धन्नाराम के वारिसान
12/1 धर्मीचंद
12/2 इनदरचन्द पुत्रान पारस
12/3 नीतु पुत्री पारस
12/4 रक्षा
12/5 कुकी पुत्री पारस जाति माली नाबालिग जरिए वाद मित्र बहिन प्रतिवादी संख्या 9/3 नीतु पुत्री पारस जाति माली नि० सारंगवास तह० सोजत जिला पाली।
13 जमनाई पत्नि धन्नाराम जाति माली नि० सारंगवास तहव सोजत जिला पाली।
14 जितेन्द्र पुत्र नारायणलाल
15 विमला

उप खण्ड अधिकारी
... (जिला-पाली) राज.

16 सीमा पुत्रियां नारायणलाल जाति माली नि0 सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली।

17 शंकरलाल पुत्र गुलाबचंद

18 चम्पालाल पुत्र गुलाबचंद

19 पोकरराम पुत्र गुलाबचंद

20 लखाराम पुत्र गुलाबचंद

21 जुगराज पुत्र गुलाबचंद जाति माली नि0 सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली

22 तहसीलदार, भूमिधारक सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक वादीगण।
2. श्री दिलीप कुमार चौधरी, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 11.07.2022

1 अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनिय 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सारंगवास पटवार हल्का हरियामाली भू0 अभि0 निरी0 बगड़ी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि ख0न0 301 से 308, 319, 337, 338 कुल खसरा खसरा 11 कुल रकबा 24.9100 है0 कृषि भूमि को वादस्थ कृषि भूमि स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के गत खसरा नंबर खसरा मिलानुसार गत खसरा 198 वर्तमान खसरा नंबर 301, 302, गतखसरा 199 वर्तमान खसरा 303 गत खसरा 200 वर्तमान खसरा 304, 305 गत खसरा 201 वर्तमान खसरा 306, गत खसरा 202 वर्तमान खसरा 307, 308 गत खसरा 211 वर्तमान खसरा 319, गत खसरा 223 वर्तमान खसरा 337 गत खसरा 224/1 वर्तमान खसरा 338 खतौनी बन्दोबस्ती सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार खातेदार मगिया, कुनिया, मुगनिया, धनिया, गुलाब, पीसरान धीसा कौम माली साकिन देह बहिस्सा बराबर दर्ज शुदा है।

2 वादस्थ कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की सामलाती दर्जसुदा खातेदारी हक हकूक की कृषि भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का परिवार सजरा अनुसार मूल पुरूष धीसाराम के क्रमशः मगाराम(फौत), कुनाराम(फौत), मुगनाराम (फौत) धन्नाराम(फौत), गुलाबचंद पुत्रान हुए। मगाराम के , नोजी (पत्नी) मांगीलाल, पुनाराम, मुलाराम, (पुत्रान), भंवरी, नारायणी, सुखी, मिश्री पुत्रीया हुई। कुनाराम के पुत्र टिकमराम पुत्र, मुगनाराम के रूगाराम, मूलाराम, सुखाराम(फौत) के महेन्द्र दिनेश पुत्रान व

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

लीला रूकमा पुत्रिया हुई, कालुराम(फौत) के पुत्र केवलराम हुए। धनाराम फौत के पेमाराम, मंगलाराम, हिराराम, पारस पुत्रान हुए। जिसमें से पारस के धर्मीचन्द, इन्दरचन्द पुत्रान व नीतू, रक्षा, कुकी पुत्रीया हुई। गुलाबचन्द के कमश चम्पालाल, नारायणलाल(फौत) पुत्रान हुए। नारायणलाल फौत के विमला जितेन्द्र पुत्रान व सीमा पुत्री हुई। वादी संख्या 1 व 2 के दादा एवं वादी संख्या 3 से 9 के पड़ दादा घीसाराम थे। घीसाराम के पांच पुत्र मगाराम, कुनाराम, मुगनाराम, धनाराम एवं गुलाबचंद हुए। जिनका वादस्थ कृषि भूमि में पांचों का बराबर बराबर हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित था।

3 प्रतिवादी संख्या 1 से 4/7 मगाराम के विधिक वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 5 कुनाराम के पुत्र है, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 धन्नाराम के विधिक वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 10 धन्ना के विधिक वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 15 गुलाबचंद के विधिक वारिसान है तथा प्रतिवादी 16 गुलाबचन्द है। घीसांराम के पांच पुत्र जिसका नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2026–29 में एक जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 में स्पष्ट लिखा हुआ है। वादस्थ कृषि भूमि में खातेदार मगाराम, कुनाराम, धनाराम, गुलाबचन्द एवं मुगनाराम का बराबर बराबर हक हिस्सा कब्जा काश्त का स्थित था। जिसके प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा हुआ। जो जमाबंदी सम्वत 2024–27 से साबित है। वादीगण के पिता/दादा मुगनाराम का वादस्थ कृषि भूमि में 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4/7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 व 15 एवं प्रतिवादी संख्या 16 का 1/5 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है तथा उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादस्थ कृषि भूमि पर लगातार अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा काश्त करते है। वादीगण अपने बेरे पर होने वाले खर्चा में भी 1/5 हिस्सा वहन कर रहे है तथा बेरे पर विधुत कनेक्शन लिया हुआ है।

4. दौराने सैटलमेंट सम्वत् 2028–2029 में सैटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से एवं बिना किसी न्यायालय के आदेश से अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए वादस्थ कृषि भूमि में दर्ज खातेदारों की प्रविशिष्टि को पुनः दोहराकर दर्ज करने के बजाय प्रविष्टि दर्ज कर दी गई कि –" मुगीया, कुनीया, धनीया, गुलाब, पि0 घीसा, रूगीया, कालिया, मुलीया, सुखीया पि0 मुगनिया हिस्सा बराबर 1/2, मांगीलाल, पुनमा, मुलिया पि0 मगीया, टीकम वल्द कुनीया, पेमा, मगलिया, हीरका पि0 धना, शंकरिया, चम्पला, नारायण पि0 गुलाब कौम माली दर्ज 1/2 हिस्सा बराबर। जबकि सैटलमेंट के पूर्व खातेदार दर्ज थे कि मगीया, कुनीया, मुगलिया, धनीया, गुलाब पि0 घीसा कौम माली सा0 देह बहिस्सा बराबर। इस प्रकार सैटलमेंट अधिकारियों को परिवर्तन करने का कोई हक व अधिकार नही था। सैटलमेंट अधिकारियों को पूर्व की प्रविष्टि को पुनः दोहराने का ही अधिकार था। उपरोक्तानुसार प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान में दर्ज कर देने से वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा की बजाय 1/10 हिस्सा हो गया। मगाराम, कुनाराम, धनाराम फौत होने से उनके स्थान पर उनके पुत्रों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से उनके

उप खण्ड अधिकारी
... (जिला-पाली) राज.

दोहरे नाम दर्ज हो गये। सभी खातेदार आज भी मौके पर 1/5 हिस्से अनुसार पूर्वजो के समय से काबिज चले आ रहे है। सैटलमेन्ट के समय वादीगण नाबालिग अवस्था में थे जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया लेकिन वे टालमटोल करते रहे, दिनांक 02/05/2016 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादस्थ कृषि भूमि में हिस्सा सही करने हेतु तहसील कार्यालय चलने का कहने पर प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया व ऐलानिया कहा कि अब खाता सही नही करवायेगे बल्कि हड़प कर लेगे व बेदखल कर लेंगे। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण द्वारा इस प्रकार के कथन कहने व सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के हिस्सा कम कर देने से बिनायदावा बमुकाम ग्राम सारंगवास तहसील सोजत में उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद पेश किया है ।

5. प्रतिवादी सं0 17 तहसीलदार भूमि धारक को पक्षकार बनाया गया जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पहले धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति होने से नोटिस की बाध्यता की छूट बाबत प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर वादपत्र के उक्त वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण का 1/5 हक हिस्सा खातेदारी घोषणा करवाने प्रतिवादी सं0 1 से 4/7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 से 10 का 1/5 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 11 से 16 का 1/5 हक हिस्से राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के हक हिस्से में दखलअन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने की इस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्ट किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रतिवादी गण संख्या 4/5 से 4/7 कमशः नारायणी, सुखी, मिश्री, तथा 17 तहसीलदरार सोजत (मूल वाद पत्र अनुसार) को बावजूद सम्मनस तामिली/ सूचना बार बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 04.07.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

6. अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या0 1, 3, 4/4, 5 से 8, 10 व 16 ने दिनांक 06.12.2016 तथा प्रतिवादी सख्यां0 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4/3, 9/3, 9/4, व 9/5 जरिए नाबा वली 9/3 11, 12, 13, 14, 15, 16 ने दिनांक 27.01.2021 को जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वर्णित में बताई वादस्थ भूमि से संबंन्धित तथ्य सही व स्वीकार कर वादी के वाद को डिकी किये जाने किए जाने में आपति नही होना व्यक्त किया है। जिसके अनुसार सारंगवास पटवार हल्का हरियामाली भू0 अभिलेख निरी0 बगड़ी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि ख0न0 301 से 308, 319, 337, 338 कुल खसरा खसरा 11 कुल रकबा 24.9100 है0 वर्णित कृषि भूमि को वादस्थ कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के गत खसरा नंबर खसरा मिलानुसार गत खसरा 198 वर्तमान खसरा नंबर 301, खसरा नम्बर 302,

उप खण्ड अधिकारी

गतखसरा 199 वर्तमान खसरा 303 गत खसरा 200 वर्तमान खसरा 304, 305 गत खसरा 201 वर्तमान खसरा 306, गत खसरा 202 वर्तमान खसरा 307, 308 गत खसरा 211 वर्तमान खसरा 319, गत खसरा 223 वर्तमान खसरा 337 गत खसरा 224/1 वर्तमान खसरा 338 खतौनी बन्दोबस्ती सम्वत् 2010 से 2019 के अनुसार खातेदार मगिया, कुनिया, मुगनिया, धनिया, गुलाब, पीसरान घीसा कौम माली साकिन देह बहिस्सा बराबर दर्ज शुदा है। पैरा सं0 3 व 4 आंशिक स्वीकार है होना अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4/7 मगाराम के विधिक वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 5 कुनाराम के पुत्र है, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 धन्नाराम के विधिक वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 10 धन्ना के विधिक वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 15 गुलाबचंद के विधिक वारिसान है तथा प्रतिवादी 16 गुलाबचन्द है। घीसाराम के पांच पुत्र जिसका नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2026--29 में एक जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 में स्पष्ट लिखा हुआ है। वादस्थ कृषि भूमि में खातेदार मगाराम, कुनाराम, धनाराम, गुलाबचन्द एवं मुगनाराम का बराबर बराबर हक हिस्सा कब्जा काश्त का स्थित था। जिसके प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा हुआ। जो जमाबंदी सम्वत 2024--27 से साबित है। वादीगण के पिता/दादा मुगनाराम का वादस्थ कृषि भूमि में 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 4/7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 10 का 1/5 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 व 15 एवं प्रतिवादी संख्या 16 का 1/5 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। तथा उसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादस्थ कृषि भूमि पर लगातार अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा काश्त करते है। वादीगण अपने बेरे पर होने वाले खर्चा में भी 1/5 हिस्सा वहन कर रहे है तथा बेरे पर विधुत कनेक्शन लिया हुआ है। दौराने सैटलमेंट सम्वत 2028--2029 में सैटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से एवं बिना किसी न्यायालय के आदेश से अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए वादस्थ कृषि भूमि में दर्ज खातेदारों की प्रविष्टि को पुनः दोहराकर दर्ज करने के बजाय निम्नानुसार प्रविष्टि दर्ज कर दी गई। प्रतिवादी ने रेकर्ड दुरूस्त करवाने बाबत कभी इंकार नहीं किया प्रतिवादी भी राजस्व रेकर्ड में प्रत्येक का अपने पूर्वज मगाराम का 1/5, कुनाराम का 1/5, मुगनाराम का 1/5, धनाराम का 1/5 व गुलाब का 1/5 हक हिस्सा दुरूस्त करवाने चाहते है व उनके वारिसान का नाम रेकर्ड में इन्द्राज करवाना चाहते है, शेष तथ्य अस्वीकार है। उक्त भूमि में वांछित रेकर्ड दुरूस्ती की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। पैरा सं0 7 अस्वीकार है प्रतिवादी ने कभी भी रेकर्ड दुरूस्ती से इंकार नहीं किया है। पैरा सं0 8 से 10 कानूनी है प्रतिवादी ने पैरा सं0 11 के जवाब में निवेदन किया है वादी की ईश्तदुआ सही है जो वादी पाने का अधिकारी है इस प्रकार जबाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद डिकी फरमाया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने हेतु वाद पत्र की स्वीकारोक्ति समस्त पदो के साथ ई0 ज0 दा0 पेश कर सहमति अंकित की है।

7. अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जबाब दावा पेश करने से तनकी कायम नहीं की जाकर पत्रावली में बहस बकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मौजा सारंगवास पटवार हल्का हरियामाली भू0 अभि0 निरी0 बगड़ी में

उप खण्ड अधिकारी
...त (जिला-पाली) राज.

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि ख0न0 301 से 308, 319, 337, 338 कुल खसरा खसरा 11 कुल रकबा 24.9100 है0 वर्णित कृषि भूमि की वादग्रस्त कृषि भूमि आई हुई स्थित है। इस भूमि में सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारो से परे जाकर मुगीया, कुनीया, धनीया, गुलाब, पि0 धीसा, रूगीया, कालिया, मुलीया, सुखीया पि0 मुगनिया हिस्सा बराबर 1/2, मांगीलाल, पुनमा, मुलिया पि0 मगीया, टीकम वल्द कुनीया, पेमा, मगलिया, हीरका पि0 धना, शंकरिया, चम्पला, नारायण पि0 गुलाब कौम माली दर्ज 1/2 हिस्सा बराबर दर्ज कर दिये गये । उपरोक्तानुसार प्रतिष्टि राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान में दर्ज कर देने से वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा की बजाय 1/10 हिस्सा दर्ज कर दिया। मगाराम, कुनाराम, धनाराम फौत होने से उनके स्थान पर उनके पुत्रों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने से उनके दोहरे नाम दर्ज हो गये। इस प्रकार सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा की गई त्रुटि को पुनः दुरूस्ती की जाकर वादीगण का 1/5 हिस्सा हक हिस्सा खातेदारी घोषणा करवाने, प्रतिवादी सं0 1 से 4/7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 से 10 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 11 से 16 का 1/5 हिस्से राजस्व रेकर्ड में घोषित कर दुरूस्त करवाने तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के हक हिस्से में दखलअन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने की इस्तदुआ की है। जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने वादी की ईस्तदुआ अनुसार वाद डिक्री किए जाने में कोई आपति नही होना व्यक्त किया तथा स्वीकारोक्ति/ सहमति व्यक्त की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, एवं दस्तावेजात ईकबालिया जवाब दावा मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबुत यथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019 तथा जमाबन्दी संम्वत 2024 से 2029 में मगिया, कुनिया, मुगनिया, धनीया गुलाब पिता घीसा कौम माली सा0 देह खातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज सुदा है। इन दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि घीसा के बतौर विधिक वारिस मगिया, कुनीया, मुगनिया, धनीया, गुलाब कुल पांच पुत्र थे जिनका अपने पिता की भूमि में वास्तविक हिस्सा 1/5 बराबर – बराबर दर्ज होना चाहिए था। वादीगण द्वारा अपने वाद में अंकित किया है कि सैटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा अपने अधिकार से परे जाकर वादग्रस्त भूमि में गलत हिस्से दर्ज कर धीसाराम के पौत्रो का नाम धीसाराम के बैटो के साथ दर्ज कर दिया गया जिसे धीसाराम के पुत्रो के हिस्से प्रभावित हो गये। इस कथन के पुष्टि हेतु प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य भू0प्रबन्ध विभाग खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। खसरा मिलान के कॉलम संख्या 22 में मगीया पुत्र धीसा, कुनिया पुत्र घीसा, धनिया पुत्र धीसा, गुलाब पुत्र धीसा, रूगीया व कालिया, मूलीया, सुखीया पिता मुगनिया कौम माली सा0 देह हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज कर कॉलम सं0 23 में मगीया, कुनीया, धनीया, गुलाब पिसरान धीसा तथा रूगीया, कालिया, मूलीया, सुखीया पिता मुगनिया 1/2 तथा मांगीलाल, पुनमा, मुलिया पिसरान मगीया, टीकम वल्द कुनीया, पेमा, मंगलिया, हीरका पिसरान धना, शंकरिया, चम्पला, नारायण पिसरान गुलाब कौम माली दर्ज 1/2 हिस्सा दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
(जिला-माली) राज.

कर दिये गये। जो पश्चातवर्ती जमाबंदी में आगे से आगे आदिनांक यथावत है। सैटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा न केलव नाम को दोहराया है बल्कि हिस्से भी गलत रूप से अंकित कर दिये। दस्तावेजी साक्ष्य सबूत एवं वाद पत्र एव ई0ज0दा0में अंकित सजरा खानदान वंशावली की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट होता है कि वादी के दादा व परदादा धीरा के बतौर वारिस कुल पांच पुत्र यथा मगिया, कुनिया, मुगनिया, धनीया, गुलाब के नाम से दुरूस्त कर प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज कर तत्पश्चात मगिया, कुनिया, मुगनिया, धनीया, गुलाब के विधिक वारिसानो को नोशनल शेयर / वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाले हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाने की घोषणा की तथा स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित उचित समझते है।

—:आदेश::—

9. यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण तथा श्री दिलीप चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा पेश होकर माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि मौजा सारंगवास पटवार हल्का हरियामाली भू0 अभि0 निरी0 बगड़ी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि ख0न0 301 से 308, 319, 337, 338 कुल खसरा खसरा 11 कुल रकबा 24.9100 है0 कृषि भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 से 7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 9 से 13 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 14 से 21 का 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तीब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को सर इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आदेश20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 54 / 2016

वादीगण

1 मूलाराम पुत्र मुगनाराम
2 रूगाराम पुत्र मुगनाराम
3 केवलराम पुत्र कालुराम
4 किस्तुरी देवी पत्नि सुखाराम
5 महेन्द्र
6 दिनेश पिसरा सुखाराम
7 लीला
8 रूकमा
9 कौशल्या पुत्रिया सुखाराम जातियान माली नि0 सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादी

1 मांगीलाल पुत्र मगाराम
2 मु0 पुनाराम पुत्र मगाराम के का0मु0
2/1 जीवाराम पुत्र पुनाराम
2/2 नरपत पुत्र पुनाराम
2/3 शोभा पुत्री पुनाराम
2/4 प्रेम देवी पुत्री पुनाराम जातियान माली नि0 सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3 मुलाराम पुत्र मगाराम
4 भंवरी पुत्री मगाराम पत्नि डूंगाराम जाति माली नि0 बेरा देवड़ा बाड़ी सोजतसिंटी जिला पाली राज0।
5 नारायणी पुत्री मगाराम पत्नि कानाराम जाति माली नि0 बेरा पिपलिया सोजतसिटी जिला पाली।
6 सुखी पुत्री मगाराम पत्नि हरजी जाति माली नि0 कण्टालिया तह0 मारवाड़ जक्शन जि0 पाली।
7 मिश्री पुत्री मगाराम पत्नि राजुराम जाति माली नि0 बेरा डोली दादिया तह0 सोजत जिला पाली।
8 टीकमराम पुत्र कुनाराम जाति माली नि0 सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली।
9 पेमाराम
10 मंगलाराम
11 हिराराम पि0 धन्नाराम जातियान माली नि0 सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली।
12 मृतक पारस पुत्र धन्नाराम के वारिसान
12/1 धर्मीचंद
12/2 इनदरचन्द पुत्रान पारस
12/3 नीतु पुत्री पारस
12/4 रक्षा
12/5 कुकी पुत्री पारस जाति माली नाबालिग जरिए वाद मित्र बहिन प्रतिवादी संख्या 9/3 नीतु पुत्री पारस जाति माली नि0 सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली।
13 जमनाई पत्नि धन्नाराम जाति माली नि0 सारंगवास तहव सोजत जिला पाली।

उप खण्ड अधिकारी
(जिला-पाली) राज.

14 जितेन्द्र पुत्र नारायणलाल
15 विमला
16 सीमा पुत्रियां नारायणलाल जाति माली नि0 सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली।
17 शंकरलाल पुत्र गुलाबचंद
18 चम्पालाल पुत्र गुलाबचंद
19 पोकरराम पुत्र गुलाबचंद
20 लखाराम पुत्र गुलाबचंद
21 जुगराज पुत्र गुलाबचंद जाति माली नि0 सारंगवास तह0 सोजत जिला पाली
22 तहसीलदार, भूमिधारक सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित
धारा 136 एल आर एक्ट

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण तथा श्री दिलीप चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा पेश होकर माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि मौजा सारंगवास पटवार हल्का हरियामाली भू0 अभि0 निरी0 बगड़ी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि ख0न0 301 से 308, 319, 337, 338 कुल खसरा खसरा 11 कुल रकबा 24.9100 है0 कृषि भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 से 7 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 9 से 13 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 14 से 21 का 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान --- मुबलिग --- बाबत ---

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.07.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

मद्दई	रुपया	न.पै.	मुद्दायला	रुपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			